RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 41965

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : रु0 13,32,700/-
मालियत मूल्य : रु0 13,24,200/-
स्टाम्प शुल्क : रु0 1,40,000/-
परगना : बिजनौर

यह विक्रय विलेख किशोरी लाल एवं नन्द किशोर व बाबू लाल पुत्र स्व0 मक्खन लाल, श्रीमती बिटियाई पत्नी स्व0 मक्खन लाल, निवासीगण- ग्राम-मुजफ्फर नगर खुलवल, परगना – बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया

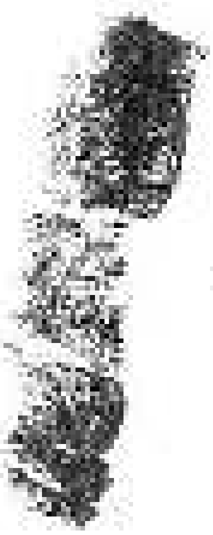

RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 061967

-2-

है, प्रभु सजपती पुत्र पूरन कोटी निवासी–ग्राम ...पुर, निवारी, पोस्ट–..., जिला फतेहपुर, जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि आराजी संख्या–475 रकबा 0.645 हेक्टेअर, खसरा संख्या–374 रकबा 0.045 हेक्टेअर, आराजी संख्या–429 रकबा 1.058 हेक्टेअर, आराजी संख्या–357 रकबा 0.107 हेक्टेअर, कुल रकबा 1.855 हेक्टेअर की 1/2 भाग अर्थात 0.927 हेक्टेअर, स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर मुहाल, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला, ..., शामिल व

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सम्बन्ध है तथा उपरोक्त राजस्व [illegible] खाता खतौनी क्रम संख्या 00033 के अनुसार विक्रेता के नाम पर अंकित दर्ज राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा बैनामा कर रहा है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व दाखिल है एवं [illegible] समय से उक्त भूमि उन्हीं की है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने इसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, रेहन, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग, किसी न्यायालय या सरकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

INDIA NON JUDICIAL

जमीनदारी के अन्तर्गत विवाद या वाद लम्बित नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या भाग इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त शर्तों के फलस्वरूप रु0 17,39,700/- (अक्षरे सत्रह लाख उन्तालीस हजार सात सौ रुपया) के प्रतिफल में विक्रय किये उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित रीति के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हक में उपरोक्त वर्णित भूमि, विलेख-पत्र।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उनके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई माँग कर

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 561575

-5-

सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या दखल से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

500Rs.

५००रु Rs500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे. विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि अन्तर्गत खसरा नम्बर ग्राम मुजफ्फर नगर मुस्तहकम, अर्द्धनगरीय क्षेत्र के निर्धारित जोन के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.927 हेक्टेयर की मालियत लग 10,19,700/-

500Rs

भारत

५००रु.

Rs500

पाँच सौ रुपये

FIVE HUNDRED RUPEES

होती है, परन्तु उक्त भूमि पर एक आम का पेड़ है जिसकी मालियत रू० 5000/– होती है, इस प्रकार भूमि की कुल मालियत रू० 10,24,300/– होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार बाजारू मूल्य पर ही रू० 1,02,500/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआं, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मीटर के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

<u>परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण</u>

भूमि खसरा संख्या–475 रकबा 0.645 हेक्टेअर, खसरा संख्या–374 रकबा 0.045 हेक्टेअर, खसरा संख्या–429 रकबा 1.055 हेक्टेअर, खसरा संख्या–257 रकबा 0.307 हेक्टेअर, कुल रकबा 1.853 हेक्टेअर के 1/2 भाग अर्थात 0.927 हेक्टेअर, स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

<u>खसरा न0 473</u>

उत्तर : खसरा संख्या- 478, 509, 510
दक्षिण : खसरा संख्या- 474, 326
पूरब : खसरा संख्या-512, 513
पश्चिम : खसरा संख्या-476, 477, 480

<u>खसरा न0 374</u>

उत्तर	: खसरा संख्या-373
दक्षिण	: खसरा संख्या-373
पूरब	: खसरा संख्या-373
पश्चिम	: खसरा संख्या-375

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11

खसरा सं0 429

उत्तर	: ग्राम सीमा [illegible]
दक्षिण	: खसरा संख्या–477, 428
पूरब	: खसरा संख्या–420
पश्चिम	: खसरा संख्या–477

खसरा सं0 357

उत्तर	: खसरा संख्या–354, 355
दक्षिण	: खसरा संख्या–380, 387
पूरब	: खसरा संख्या–358
पश्चिम	: खसरा संख्या–387

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

परिशिष्ट 1 भुगतान विवरण

1. विक्रेता ने रू0 3,39,900/- (रूपया तीन लाख उन्तालिस हजार मात्र) द्वारा चेक संख्या-450592 दिनांकित 05.06.2006 पंजाब नेशनल बैंक, लखनऊ क्रेता से प्राप्त किया।

2. विक्रेता ने रू0 3,39,900/- (रूपया तीन लाख उन्तालिस हजार मात्र) द्वारा चेक संख्या-450594 दिनांकित 05.06.2006 पंजाब नेशनल बैंक, लखनऊ क्रेता से प्राप्त किया।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3. विक्रेता ने रू0 3,39,900/- (रुपया तीन लाख उन्तालीस हजार मात्र) द्वारा चेक संख्या-450595 दिनांकित 05.06.2006 पंजाब नेशनल बैंक, लखनऊ क्रेता से प्राप्त किया।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य विक्रेता को रू0 10,19,700/- (रुपया दस लाख उन्नीस हजार सात सौ रुपया) क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र अब विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में समक्ष गवाहान बिना किसी जोर दबाव के, ब स्वस्थ चित्त व मन

की दशा में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

लखनऊ
दिनांक: 05.06.2006

गवाह

1. [illegible]

विक्रेता

2. [illegible]

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम रानडी)

मसविदाकर्ता

(बैजनाथ रमन सिंह)
एडवोकेट

ग्राम [illegible] तहसील [illegible]
जिला [illegible]

खसरा नम्बर 1425, 2274, 1428, 3417

रकबा – 0.1427 हे०

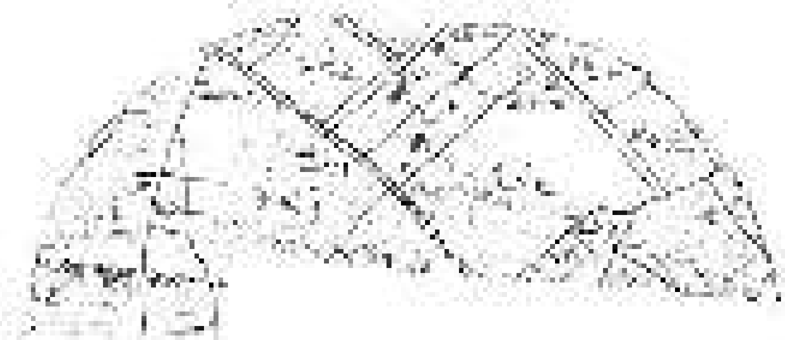

क्रेता

ग्रा० [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible]

जिला [illegible]

खसरा संख्या – [illegible]

रकबा – [illegible]

विक्रेता

क्रेता

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

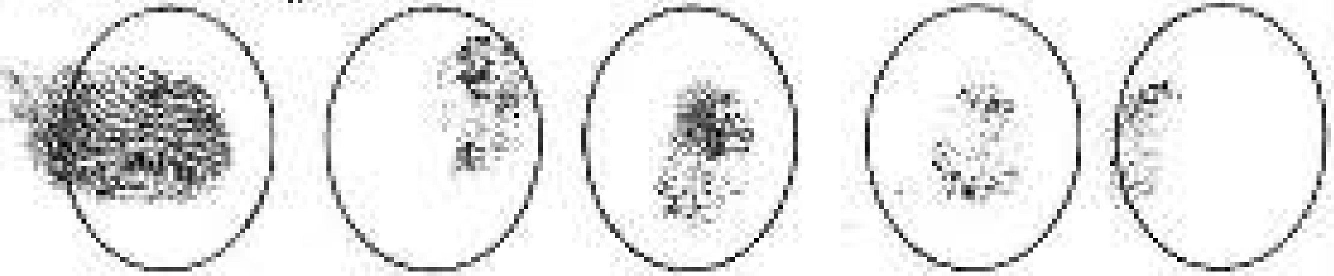

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

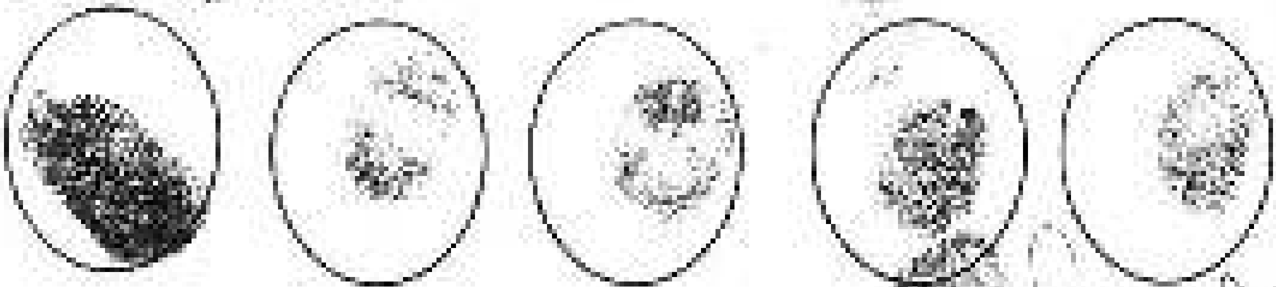

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/विक्रेतागणों के हस्ताक्षर

क्रेता/दोनों नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

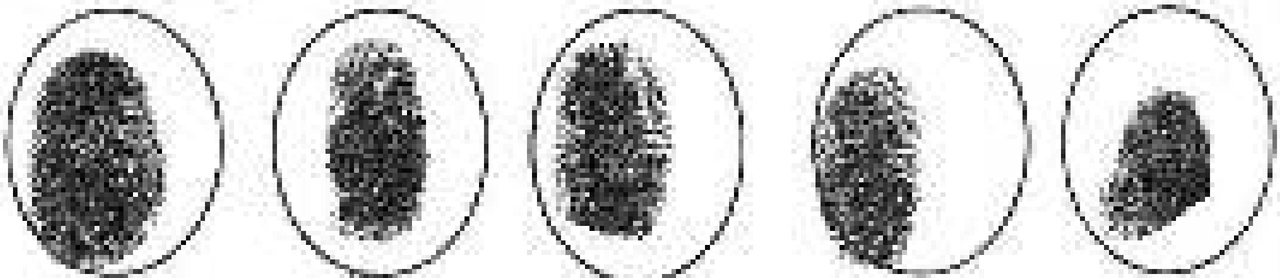

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

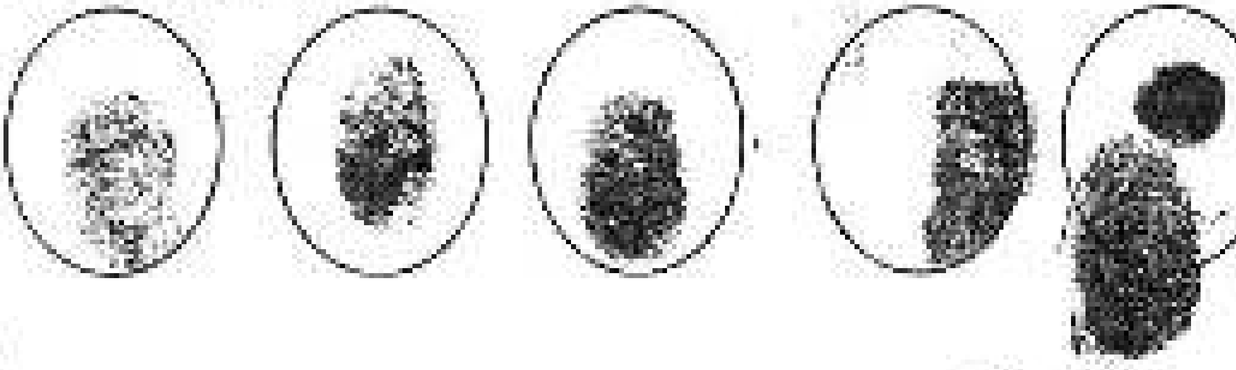

[illegible]

क्रेता/दोनों के हस्ताक्षर